



दूरभाष- 2266709

2266710

नव चेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

## राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

पत्रांक : 1074 / 05 / 76 / एक / 2015-16

दिनांक : 16 जून 2015

सेवा में,

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,

जिला नगरीय विकास अभिकरण

जनपद-सीतापुर।

विषय :

वित्तीय वर्ष 2015-16 में सूडा द्वारा आपके जनपद (झुंडा) को अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में स्वीकृत परियोजनाओं की धनराशि का प्रेषण।

महोदय,

अभिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 में आपके जनपद को शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु (अनुदान संख्या-37/83) में निम्नलिखित विवरण के अनुसार धनराशि अवमुक्त कर दी गई है:-

धनराशि का प्रेषण (लाख ₹ में)			
बैंक का नाम	खाता संख्या	आईएफएससी कोड	धनराशि
आईडीबीआई बैंक	0705104000094771	IFSC Code IBKL0000705	436.049

(धनराशि लाख ₹ में)

क्र० सं०	जनपद का नाम	अल्पसंख्यक/मलिन	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	द्वितीय / प्रथम किस्त की धनराशि का प्रेषण
1	सीतापुर	अल्पसंख्यक-83 बजट (द्वितीय किस्त)	न०५० महोली	वार्ड नं० 03 मास्टर कालोनी एवं वार्ड नं० 12, मो० भट्टा कालोनी में इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण कार्य।	5.545
2	सीतापुर	अल्पसंख्यक-83 बजट (प्रथम किस्त)	न०५०५० सीतापुर	मो० लालकुर्ती में सुधा यादव के घर से रमेश के मकान तक यू टाईप ड्रेन का निर्माण कार्य।	13.588
3	सीतापुर	अल्पसंख्यक-83 बजट (प्रथम किस्त)	न०५०५० सीतापुर	मो० पंचवटी वार्ड में पंचमपुरवा माग में गुरुनानक स्कूल तक इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	26.776
4	सीतापुर	अल्पसंख्यक-83 बजट (प्रथम किस्त)	न०५०५० सीतापुर	मो० बट्सगंज में मुन्ना खान से नारंगीलाल तक, नसरीन से फेलवान तक, खिन्नू से राजेश तक, कमलेन्द्र से जब्बार तक, जे०के० दीक्षित से अनिल पाण्डेय तक एवं विकास तिवारी से दयाशंकर गुप्ता तक इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	30.900
5	सीतापुर	अल्पसंख्यक-83 बजट (प्रथम किस्त)	न०५०५० सीतापुर	मो० बट्सगंज में राष्ट्रीय राजमार्ग आशीवाद भवन से जिला अस्पताल तक इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	24.767
6	सीतापुर	अल्पसंख्यक-83 बजट (प्रथम किस्त)	न०५०५० सीतापुर	मो० खूबपुर में बी०डी० यादव से दिनेश मिश्रा तक, अरविन्द यादव से बी०डी० यादव एवं रामस्वरूप से सी०सी० रोड तक इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	31.565
7	सीतापुर	अल्पसंख्यक-83 बजट (प्रथम किस्त)	न०५०५० सीतापुर	मो० बट्सगंज में मुकीम की दुकान से रानी कोठी से रामसराय अवस्थी से मुकेश मिश्रा से पप्पू अवस्थी विपिन तक, धीरेन्द्र शुक्ला, अजय से खन्ना तक इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	33.150
8	सीतापुर	अल्पसंख्यक-83 बजट (प्रथम किस्त)	न०५०५० सीतापुर	मो० बट्सगंज में सहाबुद्दीन के मकान से सब्बु के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	15.198
9	सीतापुर	अल्पसंख्यक-83 बजट (प्रथम किस्त)	न०५०५० सीतापुर	मो० बुधनगर में मस्जिद से अरविन्द यादव, प्रकाश आदि की गलियों में इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	27.529





168/2

दूरभाष- 2286709

2286710

नव धेतना केंद्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

## राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

10	सीतापुर	अल्पसंख्यक-83 बजट (प्रथम किश्त)	न0पा0प0 सीतापुर	मो0 मास्टर कालोनी पूर्वी में जो0टी0 रोड से डा0 आलोक के मकान होते हुये छोटे मिश्रा तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	29.331
11	सीतापुर	अल्पसंख्यक-83 बजट (प्रथम किश्त)	न0पा0प0 सीतापुर	मो0 मास्टर कालोनी पश्चिमी में हटीले बाबा के स्थान के आगे तालाब के पास से पुलिया की ओर इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	22.100
12	सीतापुर	अल्पसंख्यक-83 बजट (प्रथम किश्त)	न0पा0प0 सीतापुर	मो0 भट्टा में अरुण वर्मा के मकान से शिवराम त्रिपाठी के मकान की ओर यू टाईप ड्रेन का निर्माण कार्य।	16.326
13	सीतापुर	अल्पसंख्यक-83 बजट (प्रथम किश्त)	न0पा0प0 सीतापुर	मो0 चमारन टोला में प्राइमरी स्कूल के पास से टकेश्वर मार्ग पुलिया तक यू टाईप ड्रेन का निर्माण कार्य।	28.025
14	सीतापुर	अल्पसंख्यक-83 बजट (प्रथम किश्त)	न0पा0प0 सीतापुर	मो0 मास्टर कालोनी पश्चिमी में अनिरुद्ध के मकान से पानी की टंकी की ओर यू टाईप ड्रेन का निर्माण कार्य।	16.327
15	सीतापुर	अल्पसंख्यक-83 बजट (प्रथम किश्त)	न0पा0प0 लहरपुर	मो0 अम्बरसराय में पक्का तालाब से टेलीफोन इक्वोज तक यू टाईप ड्रेन का निर्माण कार्य।	29.731
16	सीतापुर	अल्पसंख्यक-83 बजट (प्रथम किश्त)	न0पा0प0 लहरपुर	मो0 बेहटी में बेहटी पुलिया से केसरीगंज बाइपास तक यू टाईप ड्रेन का निर्माण कार्य।	30.196
17	सीतापुर	अल्पसंख्यक-83 बजट (प्रथम किश्त)	न0पा0प0 लहरपुर	मो0 अम्बरसराय में तालाब से केसरीगंज रोड तक यू टाईप ड्रेन का निर्माण कार्य।	24.703
18	सीतापुर	अल्पसंख्यक-83 बजट (प्रथम किश्त)	न0पा0प0 लहरपुर	मो0 अम्बरसराय में ट्रैक्टर एजेन्सी से अम्बरसराय लिंक रोड तक यू टाईप ड्रेन का निर्माण कार्य।	30.292
	योग				436.049

उपरोक्त अवमुक्त धनराशि का व्यय शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में सी0सी0 रोड अथवा इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजनान्तर्गत निम्न दिशा निर्देशों के अनुसार ही किया जाये:-

- 1- उ0प्र0 सरकार के द्वारा जारी शासनादेशों के अनुरूप शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में सी0सी0 रोड अथवा इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु स्वीकृत डी0पी0आर0/परियोजना के अनुसार कार्य कराया जाये। प्रत्येक कार्य आरम्भ होने के पूर्व एवं कार्य समाप्त होने के पश्चात फोटोग्राफ प्रत्येक दशा में सम्बन्धित पत्रावली में रखा जाये।
- 2- स्थानीय स्तर पर जो भी कार्य कराये जायें उनकी सूचना सम्बन्धित नगर निकाय एवं अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर और सूचना देकर सुनिश्चित कर लिया जाये ताकि एक ही कार्य दो विभागों द्वारा टेकअप न कर लिया जाये।
- 3- प्रश्नगत परियोजना में प्रस्तावित कार्य आरम्भ करने से पूर्व परियोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति आवश्यक प्राप्त कर ली जाये तत्पश्चात ही कार्य आरम्भ कराया जाये।
- 4- अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि परियोजनान्तर्गत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य श्रोत्र से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है जिससे कि शासकीय धन का दुरुपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में प्रश्नगत धनराशि तत्काल अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 5- स्थानीय स्तर पर जो भी परियोजनायें या कार्य कराये जायें उनमें पारदर्शिता के साथ गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये एवं राज्य सरकार/स्थानीय विधि/नियम एवं पर्यावरणीय बाध्यता के अन्तर्गत यदि कोई स्वीकृत/अनापत्ति अन्य विभागों से लेना हो तो, सुनिश्चित किया जाये।
- 6- प्रश्नगत परियोजनाओं में स्वीकृत की गयी धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत निर्माण कार्य सम्पादित कराते हुये किया जाये।
- 7- परिसम्पत्तियों के सृजन उपरान्त समय से उन्हें सम्बन्धित नगर निकायों को हस्तान्तरित कर दिया जाये ताकि भविष्य में समुचित रख-रखाव में कोई बाधा उत्पन्न न होने पाये। इसके लिये आवश्यक है कि परिसम्पत्तियों के सृजन के पूर्व ही स्थानीय निकायों से तदाशय की सहमति ले ली जाये।
- 8- योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2015-16 में अवश्य करा लिया जाये तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र अथवा अवशेष धनराशि अभिकरण को प्रत्येक दशा में उपलब्ध करायी जायें। निर्धारित अवधि के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र/अवशेष धनराशि अभिकरण को नहीं प्राप्त होती है तो शासन द्वारा निर्धारित ब्याज अवमुक्त की गई धनराशि पर देय होगा।





108/1

दस्तावेज- 2286709

2286710

नव चेताना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

## राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

- 9- उक्त धनराशि डूडा द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य कमशः इस प्रकार कराये जायें कि वे प्रश्नगत उपलब्ध धनराशि से ही समय से पूर्ण हो जायें।
- 10- प्रश्नगत परियोजना में भुगतान के पूर्व यथानियम केन्द्र, राज्य व स्थानीय करों की स्रोत पर कटौती सम्बन्धी अनिवार्य विधिक प्रतिबन्धों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा एवं निर्माण में गुणवत्ता के निर्धारित मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।
- 11- अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग उसी परियोजन के लिये किया जायेगा जिसके लिये वह स्वीकृत की गई है। किसी प्रकार का व्यवर्तन अनुमन्य न होगा, शासन द्वारा अवमुक्त की गई धनराशि के कम में धनराशि जनपद को अवमुक्त की जा रही है। उपरोक्त अंकित कार्यों में यदि कार्य/धनराशि की दैरावृत्ति हो रही हो तो उसकी सूचना अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में जनपद के सम्बन्धित अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे।
- 12- शासन द्वारा उक्त परियोजना में आगणन के सापेक्ष प्रथम किश्त में पूर्ण धनराशि अवमुक्त की गई है एवं द्वितीय किश्त में अवशेष 50 प्रतिशत धनराशि अवमुक्त की गयी है जिसमें अनुमन्य सेन्टेज की धनराशि की कटौती के उपरान्त प्रथम किश्त में 10 प्रतिशत तथा द्वितीय किश्त में 20 प्रतिशत की धनराशि रोककर शेष धनराशि अवमुक्त की गयी है। उक्त धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार गुणवत्तापरक कार्य सम्पादित कराते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र, व्यय की गई धनराशि के सापेक्ष भौतिक प्रगति सहित निर्धारित प्रपत्र पर सूचना अभिकरण को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें जिससे रोकी गयी धनराशि को अवमुक्त किया जा सके।

भवदीय,

(लाल प्रताप सिंह)  
वित्त नियन्त्रक

### पत्रांक एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. परियोजना निदेशक, जिला नगरीय विकास अभिकरण, सम्बन्धित जनपद।
2. अपर निदेशक, सूडा।।
3. अधि० अभियन्ता-सूडा
4. कम्प्यूटर सेल/लेखा विभाग-सूडा।

(लाल प्रताप सिंह)  
वित्त नियन्त्रक